2022/318

फर्द अहकाम

जगदीश बनाम मोहनलाल

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 184/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष
	9/2/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता उप-/ अप्रार्थी अधिवक्ता संख्या 22 भी उपस्थित/ अप्रार्थी संख्या 22 ने आदिनांक तक जवाब पेश नहीं किया है अतः अप्रार्थी संख्या 22 का जवाब बंद किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 1 लगा. 21 व 23 के विरुद्ध मूलवाद में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। वकील पक्षकार की प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। पत्रावली का अवलोकन करने एवं वकील पक्षकार की बहस सुनने के पश्चात् वादग्रस्त आराजी ख.न. 2 रकबा 1.4668 हैक्ट, ख.न. 22 रकबा 2.0485 हैक्ट कुल किता 2 कुल रकबा 3.5153 हैक्ट स्थित ग्राम बाद भानुपुरा तह बस्सी जिला जयपुर के संबंध में उभयपक्ष को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि उभयपक्ष तार्फैसला बाद उक्त वादग्रस्त आराजी पर मौके की यथास्थिति बनाये रखें। निर्माण कार्य नहीं करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर बस्सी जिला जयपुर	

Scanned with OKEN Scanner